शीर्ष प्राथमिकता/तत्काल

संख्या-34/283/78-1-2014-67इले0/91 टीसी-2

प्रेषक,

बी0पी0 सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
अपट्रान इण्डिया, लखनऊ।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-1 लखनऊ: दिनांक 19 मार्च, 2014

विषय: अपट्रान इण्डिया लि0 की मा0 एएआईएफआर नई दिल्ली में केस की सुनवाई हेतु (अपील नं0 35/11 एवं अपील नं0 309/10 के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपट्रान इण्डिया लि0 के पत्र संख्या-यूआईएल:एआईआईएफआर:1034, दिनांक 31-08-2013 का संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत वाद में एडवोकेट का कुल बकाया रू0 1.75 लाख बताया गया है, जिसमें से यूपीएलसी से रू0 50.00 हजार की धनराशि उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में कृपया निम्नलिखित बिन्दुओं पर सूचना/स्थिति स्पष्ट करने का कष्ट करें:-

(1) क्या भुगतान हेतु शेष धनराशि की व्यवस्था हो गयी है 9
(2) यूपीएलसी द्वारा पूर्व में धनराशि किस आधार पर उपलब्ध करायी गयी है। क्या यपीएलसी प्रश्नगत वाद में पक्षकार थी 9
(3) यदि यूपीएलसी पक्षकार नहीं है तो उनसे धनराशि की व्यवस्था क्यों कराई जाय।
(4) यदि यूपीएलसी पक्षकार है तो आधार सहित औचित्य पूर्ण प्रस्ताव उपलब्ध कराये।

3- कृपया उक्त वांछित सूचनाएं शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि अग्रेतर कार्यवाही किया जाना संभव हो सके।

भवदीय,

(बी0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

http://shanadesh.upnic.in